

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक-पि0व0 / 60-04 / 2008(पार्ट-2)-

पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंट पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के निर्माण हेतु कुल रू० 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के निर्माण हेतु कुल रू० 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़) मात्र का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध किया गया है। तदनुसार अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण हेतु उक्त कुल उपबंधित राशि रू० 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़) मात्र व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति सम्प्रति प्रदान की जाती है।

2- उक्त स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक शीर्ष "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-0101-आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोधार-5301 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड संख्या-P4225032770101 एवं राज्य योजना स्कीम कोड-BCW-5465 के अंतर्गत विकल्पनीय है।

3- जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। निगम द्वारा निर्धारित अदधि के अंतर्गत नियमानुसार राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

4- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा उक्त राशि का संव्यवहार पी0एल0 खाता के माध्यम से किया जायेगा।

5- इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998, 4572 दिनांक-03.06.2016 तथा समय-समय पर वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

6- उक्त राशि की निकासी हेतु वित्त विभागीय ज्ञापांक-2164 दिनांक-23.03.2017 द्वारा शिथिलीकरण आदेश प्राप्त है एवं राशि की अग्रिम निकासी के पूर्व माननीय उप मुख्य (पि०व० एवं अ०पि०व० कल्याण) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

7-स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति भी प्राप्त है।

8-एतद संबंधी पूर्व के निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-30, दिनांक-09.05.2016 (रू० 3,30,00,000) एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-1849, दिनांक-06.07.2016 (रू० 6,70,00,000) को रद्द किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

ह०/-
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

PTO

ज्ञापांक- पि0व0 / 60-04 / 2008(पार्ट-2)- ११ पटना, दिनांक- 29/03/12
प्रतिलिपि-1. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव के निजी सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/प्रबंध निदेशक, राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/लेखाशाखा (दोहरी प्रति में), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापक-पि0व0/60-04/2008(पार्ट-2)- 7

पटना-15, दिनांक 20-1-14

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंट पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के निर्माण हेतु कुल ₹ 9,35,00,000/- (रूपये नौ करोड़ पैंतीस लाख) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के निर्माण हेतु कुल ₹ 9,35,00,000/- (रूपये नौ करोड़ पैंतीस लाख) मात्र का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध किया गया है। तदनुसार अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण हेतु उक्त कुल उपबंधित राशि ₹ 9,35,00,000/- (रूपये नौ करोड़ पैंतीस लाख) मात्र का व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत गांग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक शीर्ष "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण 277-शिक्षा-0101-आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीपीओधार-5301 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड संख्या-P4225032770101 एवं राज्य योजना रजिमें कोड-BCW-5465 के अंतर्गत विकलनीय है।

3- जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। निगम द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत नियमानुसार राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

4- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी कर बैंक ड्रापट/चेक के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

5- इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

6- प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7- इस संबंध में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

(डॉ० एन० विजयलक्ष्मी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापक- पि0व0/60-04/2008(पार्ट-2)- 7

पटना-15, दिनांक 20-1-14

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/प्रबंध निदेशक, राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/लेखाशाखा (दाहरी प्रति में), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंघाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक-पि0व0/योजना-45-05/2012- 1

पटना-15, दिनांक 24-1-15

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंट पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के निर्माण हेतु कुल ₹ 1,87,00,000/- (रूपये एक करोड़ सतासी लाख) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के निर्माण हेतु कुल ₹ 1,87,00,000/- (रूपये एक करोड़ सतासी लाख) मात्र का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध किया गया है। तदनुसार अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण हेतु उक्त कुल उपबंधित राशि ₹ 1,87,00,000/- (रूपये एक करोड़ सतासी लाख) मात्र का व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक शीर्ष "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण 277-शिक्षा-0101-आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार-5301 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड संख्या-P4225032770101 एवं राज्य योजना स्कीम कोड-BCW-5465 के अंतर्गत विकलनीय है।

3- जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को नोडल एजेंसी नामित किया गया है; निगम द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत नियमानुसार राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

4- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

5- इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

6- इस संबंध में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

(डॉ० एन० विजयलक्ष्मी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/योजना-45-05/2012- 1

पटना-15, दिनांक-24-1-15

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/लेखाशाखा (दोहरी प्रति में), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०- पि०वर्ग-60-04/2008- ८७

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 02-02-2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के निर्माण हेतु कुल ₹ 1,60,44,000 (एक करोड़ साठ लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल ₹ 1,60,44,000 (एक करोड़ साठ लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र का बजट उपबन्ध है, जिसका व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजनानुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। छात्रावास का निर्माण निगम द्वारा निर्धारित अवधि जुलाई 2012 तक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

2- कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य योजना माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्यय व्ययक बजट शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03 पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-0101-शिक्षा-राज्य योजना स्कीम कोड-BCW-5461 कूट संख्या-3401 विपत्र कोड-P2225032770101 के अधीन कुल बजट प्रावधान ₹ 46,36,17,000 रुपये (छियालीस करोड़ छत्तीस लाख सत्रह हजार रुपये) मात्र में से ₹ 1,60,44,000 (एक करोड़ साठ लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र भारित होगा।

3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जाएगा।

5- सम्पूर्ण राशि के व्यय हेतु योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त हैं।


6- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(रवि परमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- पि0वर्ग-60-04 / 2008-

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव/विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/उप सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखाशाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना (दोहरी प्रति में)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।